[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 27th November, 2012]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th November, 2012

No. 2/3/2012-RII.— In exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of Sub-section (1), Sub-sections (2) and (4) of Section 257 and Section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. S.O. 66/H.A.24/1973/Ss.257 & 276/2012, dated the 31st August, 2012, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Elections Rules, 1978, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2012.

2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), in rule 4, for sub-rule (1), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Deputy Commissioner shall under the superintendence, direction and control of the State Election Commissioner, Haryana cause to be prepared roll for each constituency of the Committee in accordance with these rules on the basis of the electoral roll of the Assembly prepared under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force for such part of the constituency of the Assembly as is included in the relevant electoral division, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name and same shall be the electoral roll for that constituency of the Committee".

3. In the said rules, in rule 19, in sub rule (2), in the proviso to clause (IX), for the word "tenth", the word "seventh" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 69N, in sub-rules (1) and (4) for the word "ten", the word "seven" shall be substituted.

5. In the said rules, for Form A, B, C and D, the following Forms shall be substituted, namely:—

"FORM-A

[See rule 9(1), 14 and 14A]

Application for inclusion of name in electoral roll

To

The Revising Authority/Deputy Commissioner___________,

Municipal Council/Committee____________Ward No.______

I request that my name be included in the electoral roll for the above Municipal Council/Committee. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral rolls are given below:

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I. Applicant's details	Name		Surname (if any)
Age on 1st January_________	Years	Months	Sex Male/Female
Date of Birth, if known:	Day	Month	Year
Place of Birth :	Village/Town		
	District		State

*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if any)

II. Particulars of place of ordinary residence (full address)

House/Door number:

Street/Area/Locality/
Mohalla/Road:

Town/Village:

Post Office :	Pin Code						

Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:

District:

III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Municipal Council/Committee

Name	Relationship with applicant	Part number of the roll of the Ward	Serial number in that Part	Elector's Photo Identity Card Number
1.				
2.				

IV. Declaration:

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief:

(i) I am a citizen of India,

(ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since _______________ (date, month, year),

(iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other Council/Committee,

(iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this of any other Municipal Council/Committee.

OR

*My name may have been included in the electoral roll for _______ Ward _________ Council/Committee in _________ State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.

Full address (Earlier place of ordinary residence): ______________________ ______________________	Electors photo Identity Card (if issued) Number______________________ Date of issue______________________

Place :

Date : Signature or thumb impression of the claimant

Note:—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by Revising Authority of Municipal Council/Committee)

The application of Shri/Smt/Km.______________________________ for inclusion of name in the electoral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978

Place: Date:	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

During continuous updating after final publication of electoral roll.

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-A of Shri/Shrimati/Kumari ______________________________
Address ____

Date: ____________

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the Revising Authority.

(Address______________________________).

FORM-B

[See rule 9(2), 13 (c) and 14 A (1)]

Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll

To

The Revising Authority/Deputy Commissioner__________,

Municipal Council/Committee___________Ward No.________

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the undermentioned person in the electoral roll for the above Municipal Council/Committee. Particulars in support of my objection are given below:

OR

I submit that the entry relating to myself/the person named below is required to be delete for the reasons stated hereunder:

I. Details of person inclusion of whose name is objected to: Details of person whose entry is to be deleted	Name		Surname (if any)
	Part number of electoral roll in which his/her name is included:	His/her serial number in that Part:	Elector's Photo Identity Card number (if issued)
II. Details of objector	Name		Surname (if any)
SEX (Male/Female/ Others)$			
	Part number of electoral roll in which objector's name is included:		His/her serial number in that part:
• Father's Mother's Husband's Name	Name		Surname (if any)

III. Particulars of place of ordinary residence of objector/person seeking deletion (full address)

House/Door number:							
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:							
Town/Village:							
Post Office :	Pin Code						
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:							

District:
IV. Reason(s) for objection/deletion:
V. Declaration : I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.
Place : Date : Signature or thumb impression of the claimant

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by Revising Authority of Municipal Council/Committee)

The application of Shri/Smt/Km.________________________________ objecting to inclusion/seeking deletion of name of Shri/Smt./Km______________ in the electoral roll in Form-B has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978.

Place: Date:	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

During continuous updating after final publication of electoral roll.

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-B of Shri/Shrimati/Kumari ____
Address____

Date: ______________

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the Revising Authority.

(Address____________________________________).

FORM-C

[See rule 9(3), 13(a) and 14 A (1)]

Application for correction to particulars entered in electoral roll

To

The Revising Authority/Deputy Commissioner__________,

Municipal Council/Committee____________Ward No.______

Sir,

I request that entry relating to myself appearing in the electoral roll of the above Municipal Council/Committee is not correct and it should be corrected. Correct particulars in support of my request are given below:

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I. Applicant's details	Name		Surname (if any)
Part Number of electoral roll		Serial number in that Part	
Age on 1st January_______	Years	Months	Sex Male/Female
Date of Birth, if known:	Day	Month	Year
Place of Birth :	Village/Town		
	District		State
*Father's / Mother's / Husband's Name	Name		Surname (if any)

II. Particulars of place of ordinary residence (full address)							
House/Door number:							
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:							
Town/Village:							
Post Office :	Pin Code						
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:							
District:							
III. Details of elector's Photo Identity Card (if issued, in this or some other Municipality)							

Elector's Photo Identity Card Number
Name of Municipal Council/Committee
IV. Detail of entries to be corrected: *My name/*Age/*Father's/Mother's/Husband's name/*Sex/*Address may be corrected in term of information provided in this form above.
Place: Date: Signature or thumb impression of the elector

Note:— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken **(To be filled by Revising Authority of Municipal Council/Committee)**

The application of Shri/Smt/Km.________________________ for correction of entry in the electoral roll in Form-C has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978.

Place: Date:	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

During continuous updating after final publication of electoral roll.

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-C of Shri/Shrimati/Kumari ________________________
Address________________________

Date:__________

Signature of the officer receiving the application on Behalf of the Revising Authority.

(Address________________________).

"FORM-D

[See rule 13 (b) and 14 A (1)]

Application for transposition of entry in electoral roll

To

The Deputy Commissioner,

____

Sir,

I request that entry in the electoral roll for the Municipal Council/ Committee__________Ward _________relating to myself/ person named below should be transposed to the relevant part of the roll in this Municipal Council/Committee. Particulars of the entry to transposed are given below:

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I. Details of person whose entry is to be transposed:	Name		Surname (if any)
	Part number of electoral roll in which his/her name is included:	His/her serial number in that part:	Elector's Photo Identity Card number (if issued)
• Father's Mother's Husband's Name	Name		Surname (if any)

II. Particulars of present place of ordinary residence (full address)							
House/Door number:							
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:							
Town/Village:							
Post Office :	Pin Code						
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:							
District:							

III. Period of continuous residence at the above address on the date of application	Years:	Months:

IV. Part number to which the entry has to be transposed (if known)

V. Details of applicant:	Name		Surname (if any)
	Part number of electoral roll in which his/her name is included:	His/her serial number in that part:	Elector's Photo Identity Card number (if issued)

Note:—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

VI. **Declaration**

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Date Signature or thumb impression of the applicant

Detail of action taken

(To be filled by Deputy Commissioner of the district)

The application of Shri/Smt/Km.____________________ for transposition of entry relating to himself/herself/Shri/Smt./Km Shri/Smt./ Km____________________ in the electoral roll in Form-D has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 13 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978.

Place: Date:	**Signature of Deputy Commissioner**	**(Seal of the Deputy Commissioner)**

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-D of Shri/Shrimati/Kumari ____________________
Address____________________

Date:________

Signature of the officer receiving the application on

Behalf of the Deputy Commissioner Authority.

(Address____________________)".

RAM NIWAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department, Chandigarh.

50428—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 27th November, 2012]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2012

संख्या 2/3/2012–आर०–II.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उपधारा (2) तथा (4) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 66/ह०अ० 24/1973/धा० 257 तथा 276/2012, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2012 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(1) उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा की निगरानी, निर्देश तथा नियंत्रण में सुसंगत निर्वाचन खण्ड में यथा शामिल किए गए विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे भाग के लिये तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन तैयार की गई विधान सभा की निर्वाचक नामावली के आधार पर इन नियमों के अनुसार समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नामावली, किसी संशोधन, विलोपन अथवा परिवर्धन अथवा किसी नाम के समावेशन के अधीन रहते हुए तैयार करवाएगा तथा वह समिति के उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली होगी"।

3. उक्त नियमों में, नियम 19 में, उप नियम (2) में, खण्ड (ix) के परन्तुक में "दसवें" शब्द के स्थान पर, "सातवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 69ढ में उप नियम (1) तथा (4) में, "दस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. उक्त नियमों में, प्ररूप क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"प्ररूप–क

(देखिए नियम 9(1), 14 और 14क)

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी / उपायुक्त ....

नगरपरिषद् / समिति............वार्ड संख्या..........

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगरपरिषद् / समिति के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये है :–

[हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सें०मी० x 3.5 सें०मी०) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान]

I. आवेदक का ब्यौरा	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
1 जनवरी.............................को आयु	वर्ष:	मास:	लिंग पुरूष / स्त्री:
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है	दिन:	मास:	वर्ष:
जन्म का स्थान:	ग्राम / नगर:		
	जिला:		राज्य:

पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

II. सामान्य निवास स्थान के विवरण (पूरा पता)

मकान/गृह संख्या:							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	पिन कोड						
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:							
जिला:							

III. नगरपरिषद्/ समिति की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) के ब्यौरे:

नाम	आवेदक के साथ सम्बंध	वार्ड की नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या
1.				
2.				

घोषणा :

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ ;

(ii) मैं.............................. (तारीख, मास, वर्ष) से उपर्युक्त पैरा– II में दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ;

(iii) मैंने किसी अन्य नगरपरिषद्/ समिति की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;

(iv) इस या किसी अन्य नगरपरिषद्/ समिति के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं किया गया है ;

या

मेरा नाम .... राज्य में .... नगरपरिषद्/ समिति की ....वार्ड संख्या .... जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है)
____________________ ____________________	संख्या———————— जारी करने की तारीख————————

स्थान:

तारीख: आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी:-कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है,तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(नगरपरिषद / समिति के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री / श्रीमती / कुमारी... के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है / नामंजूर कर दिया गया है।

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 10 के अधीन या के अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत ब्यौरे :-

स्थान तारीख	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मोहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् खण्ड स्तरीय अधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री / श्रीमती / कुमारी..

पता..

....

से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक..............................

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता..)

प्ररूप–ख

[देखिए नियम 9(2), 13 (ग) और 14क (1)]

निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में,

पुनरीक्षण प्राधिकारी / उपायुक्त ....

नगरपरिषद / समिति...........वार्ड संख्या...............

महोदय,

मैं उपर्युक्त नगरपरिषद / समिति के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ । मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

या

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:–

I. उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका / उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :
II. आक्षेपकर्त्ता के ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
लिंग (पुरूष / स्त्री)	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें आक्षेपकर्त्ता का नाम सम्मिलित किया गया है		उस भाग में उसकी क्रम संख्या :
पिता / माता / पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)

III. आक्षेपकर्त्ता / नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)
मकान / गृह संख्या:
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मौहल्ला / सड़क:
नगर / ग्राम:

डाकघर	पिन कोड						
तहसील / तालुक / मंडल / थाना:							
जिला:							
IV. आक्षेप / हटाए जाने के लिए कारण (कारणों)							
V. घोषणा: मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं ।							
स्थान: दिनांक: आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान							

टिप्पणी:– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(नगरपरिषद् / नगरपालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री / श्रीमती / कुमारी.............. .... के नाम को *सम्मिलित किए जाने पर / *हटाए जाने हेतु आक्षेप करने के लिए दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है / *नामंजूर कर दिया गया है ।

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान: तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मोहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् खण्ड स्तरीय अधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री / श्रीमती / कुमारी..

पता...

....

से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:...

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

(पता..

....)

प्ररूप ग

[देखिए नियम 9(3), 13(क) और 14क (1)]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी / उपायुक्त ....

नगरपरिषद / समिति..............वार्ड संख्या..........

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सें०मी० X 3.5 सें०मी०) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त नगरपरिषद / समिति की निर्वाचक नामावली में प्रकट मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए। मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण नीचे दिए गए हैं:-

I. आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
निर्वाचक नामावली की भाग संख्या:		उस भाग में क्रम संख्या:	
प्रथम जनवरी.................को आयु	वर्ष:	मास:	लिंग पुरुष / स्त्री
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	दिन	मास	वर्ष
जन्म का स्थान:	ग्राम / नगर:		
	जिला	राज्य	
पिता / माता / पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	

II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)

मकान / गृह संख्या:							
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मौहल्ला / सड़क:							
नगर / ग्राम:							
डाकघर:	पिन कोड						
तहसील / तालुक / मंडल / थाना:							
जिला:							

III. निर्वाचक के फोटो पहचान-पत्र का विवरण : (यदि इसमें या अन्य किसी नगरपालिका में जारी किया गया है)

निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या:
नगरपरिषद / समिति का नाम:

IV. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के निबन्धनों के अनुसार *मेरा नाम *आयु/मेरे पिता/माता/पति का नाम/*लिंग/*पता शुद्ध कर दिया जाए ।

स्थानः

तारीखः

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी— कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(नगरपरिषद/समिति के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी.................................... के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि शुद्ध करने हेतु प्ररूप ग में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है।

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण

स्थानः तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मोहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तर पदाधिकारी (अर्थात् खण्ड स्तरीय पदाधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री/श्रीमती/कुमारी..

पता...

....

से प्ररूप ग में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक..............................

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
(पता...
....)

प्ररूप–घ

(देखिए नियम 13(ख), और 14क (1))

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन

सेवा में

उपायुक्त.......................

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि नगरपरिषद/समिति .... वार्ड .... की निर्वाचक नामावली में मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि, इस नगरपरिषद/समिति की नामावली के सुसंगत भाग में स्थानान्तर दी जानी चाहिए । स्थानान्तर की जाने वाली प्रविष्टि के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सें०मी० X 3.5 सें०मी०) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

I. उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि स्थानान्तरित की जानी है	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
	मतदाता सूची के उस भाग की संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :
पिता/माता/पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)

II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):							
मकान/गृह संख्या							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मौहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	पिन कोड						
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:							
जिला:							

III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष	मास
IV. वह भाग संख्या, जिसमें प्रविष्टि स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)		
V. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

	मतदाता सूची के उस भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है	उस भाग में उसका / उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :

टिप्पणी:– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

VI. घोषणा :

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान:

दिनांक: आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(जिला के उपायुक्त द्वारा भरा जाना है)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... से स्वयं श्री / श्रीमती / कुमारी.. से संबंधित प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली में स्थानांतरण के लिए प्ररूप घ में प्राप्त आवेदन को स्वीकार / नामंजूर कर दिया गया है ।

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 13 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान: तारीख:	उपायुक्त के हस्ताक्षर	(उपायुक्त की मोहर)

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् खण्ड स्तरीय अधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री / श्रीमती / कुमारी..

पता..

....

से प्ररूप घ में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:..................................

उपायुक्त प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त

करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता..

....)"।

राम निवास,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।

50428—C.S.—H.G.P., Chd.